

एनएचपीसी लिमिटेड आपूर्तिकर्ताओं की आचार संहिता

परिचय

एनएचपीसी लिमिटेड अपने विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों के प्रापण के लिए आपूर्तिकर्ता आचार संहिता का सख्ती से पालन करें और सभी विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को उक्त सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

एनएचपीसी पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने, मानव अधिकारों और श्रम मानकों का पालन करने, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने, नैतिक व्यावसायिक आचरण और शासन तंत्र का दृढ़ता से अनुपालन करने के लिए जवाबदेही, सतत और नैतिक व्यावसायिक पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी की आपूर्तिकर्ता आचार संहिता एनएचपीसी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रयोज्यता

यहां विक्रेता और "आपूर्तिकर्ता" का अर्थ विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के कर्मचारियों, एजेंटों और अन्य प्रतिनिधियों सहित किसी भी व्यवसाय, कंपनी, निगम, व्यक्ति या अन्य इकाई से है जो एनएचपीसी लिमिटेड को किसी भी प्रकार का वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है, कार्य निष्पादित करता है, बेचता है या बेचने की इच्छा रखता है।

एनएचपीसी लिमिटेड संबंधित संस्थाओं और उप-ठेकेदारों को संहिता की जानकारी देगी जो उन्हें वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने तथा कार्य निष्पादित करने में सहायता प्रदान करेगी तथा अन्य संबंधित संस्थाओं और उप-ठेकेदारों से भी संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

संहिता के दिशा-निर्देश:

एनएचपीसी निम्नलिखित का पालन करती है:

- एनएचपीसी निविदा प्रक्रिया का पालन करती है जो सुपरिभाषित और पारदर्शी है।
- एनएचपीसी जबरन मजदूरी, बाल श्रम को समाप्त करने, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का अनुपालन, भेदभाव और उत्पीड़न, संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी आदि के लिए मानव अधिकारों और श्रम के सभी आयामों का उचित ध्यान रखती है।

- ऊर्जा खपत, संसाधन उपयोग, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जैव विविधता, भूमि संरक्षण आदि जैसे पर्यावरणीय पहलुओं को अनुकूलित करने के लिए सभी प्रयास करना।
- एनएचपीसी का प्रापण मैनुअल के साथ-साथ वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों के प्रापण के लिए मानक निविदा दस्तावेज के अनुरूप की जाती है।
- एनएचपीसी विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित निविदा नियमों और शर्तों के आधार पर विक्रेताओं का मूल्यांकन करती है। निविदा नियमों और शर्तों से विचलन और किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में विक्रेताओं को निविदा के निष्पादन से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
- एनएचपीसी नियमित रूप से आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों और विक्रेताओं, परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए विभिन्न सामाजिक-पर्यावरणीय और शासन मापदंडों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।
- वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण आम तौर पर जीईएम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से किया जाता है, जबकि कार्य और प्रमुख निविदा सीपीपी पोर्टल के माध्यम से खरीदे/प्रदान किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद करते समय, जीईएम की सामान्य नियम और शर्तों का भी पालन किया जाता है।
- सार्वजनिक खरीद के संबंध में सभी सरकारी नीतियों जैसे सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012, भूमि सीमा साझेदारी से संबंधित नीति आदि के साथ-साथ परियोजना प्रभावित परिवार के लिए एनएचपीसी की अपनी वरीयता नीति आदि का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
- न्यूनतम मजदूरी, श्रम कानून आदि जैसे सरकारी दिशा-निर्देश भी निविदा दस्तावेज में न्यूनतम योग्यता मानदंड के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता और विक्रेता के चयन के दौरान पर्यावरण प्रदर्शन और उचित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) के अनुपालन जैसे पहलुओं को भी उचित महत्व दिया जाता है।
- निविदाओं का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित समिति (जीईएम पर श्रेणी बोली को छोड़कर) के माध्यम से किया जाता है, जो सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन मापदंडों को शामिल करते हुए सीवीसी दिशानिर्देशों और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन करती है।

विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित का पालन करना अपेक्षित है :

- सभी आपूर्तिकर्ता वांछित गुणवत्ता वाले ऐसे उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे जो उत्पाद पैकेजिंग, लेबलिंग और बिक्री-उपरांत सेवा दायित्वों सहित सभी लागू मानकों को पूरा करते हों।
- आपूर्तिकर्ताओं को बलात् श्रम, बाल श्रम, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भेदभाव एवं उत्पीड़न, संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदाकारी आदि से संबंधित मानवाधिकार एवं श्रम कानूनों का अनुपालन करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता अनुबंध की शर्तों को पूर्णतः पालन करेंगे।
- आपूर्तिकर्ता भ्रष्ट, रिश्वतखोर, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण, प्रतिरोधी (रोकने वाले) जैसे कार्यों में लिप्त नहीं होगा।
- अपने प्रचालन क्षेत्रों में सभी लागू कानूनों और विनियमों का अक्षरशः अनुपालन करना।
- अपने कार्मिकों, श्रमिकों और सम्बद्ध कार्यबल के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें।
- पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन दक्षता विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट और खतरनाक सामग्री प्रबंधन हेतु प्रयास करना।
- कंपनी की बौद्धिक संपदा, सूचना और डेटा के उपयोग की गोपनीयता की रक्षा करना।
- आपूर्तिकर्ता प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में अनुचित या भ्रामक बयानबाजी नहीं करेंगे।

निरंतर सुधार, जहां भी आवश्यक हो, करते हुए, एनएचपीसी विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का पालन करने और इसे स्थापित करने में सहायता करेगी ताकि लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और संहिता में उल्लिखित मानकों से भी आगे बढ़ा जा सके।

सत्यनिष्ठा समझौता :

निविदा दस्तावेजों/ संविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौते का प्रावधान है। इस सत्यनिष्ठा समझौते पर बोलीदाता/ संविदाकार और नियोक्ता (एनएचपीसी) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत, निविदा और संविदा के निष्पादन के दौरान पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बोलीदाता(ओं)/ संविदाकार(ओं) के साथ-साथ नियोक्ता (एनएचपीसी) की परस्पर प्रतिबद्धता होती है।

शिकायत निवारण:

एनएचपीसी आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में अत्यंत सावधानी रखती है और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को हर संभव सहायता प्रदान करती है। किसी भी मुद्दे या शिकायत के मामले में, विक्रेता और आपूर्तिकर्ता संबंधित पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ईमेल/वेबसाइट के माध्यम से एनएचपीसी के संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों के निवारण और विवादों से निपटने के लिए एनएचपीसी में सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद हैं।

स्वीकृति

करार / क्रय आदेश/ संविदा की प्रति पर विक्रेता और/या आपूर्तिकर्ता हस्ताक्षर करता है तो इसका यह आशय है कि उसने आपूर्तिकर्ता आचार संहिता में वर्णित दिशा-निर्देशों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है। आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के व्यवसाय कार्यप्रणालियों और संचालन में उन्हें शामिल करके उपरोक्त प्रमुख घटकों को पूरा करें।

.....X.....